Class - 4 pm.

(1) DSSSB - SST TGT

सविनय अवज्ञा आंदोलन

शुरुआत :- दाण्डी मार्च

सविनय अवज्ञा आंदोलन

⇒ 1930 में गांधीजी के नेतृत्व में 'पूर्ण स्वराज्य' की प्राप्ति हेतु जो आंदोलन चलाया गया, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। गांधी जी ने 'सिविल डिसओबिडियेन्स' शब्द अमेरिकी अराजकतावादी हेनरी डेविड थोरो से ग्रहण किया था। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे –

1) साइमन कमीशन के बहिष्कार में भारतीय जनता ने जो उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई, उसने यह प्रदर्शित किया कि भारत फिर से नए आंदोलन छेड़ने के स्थिति में है।

2) स्वराजवादियों के आंदोलन के तरीकों ने भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3) 1930 के दशक में श्रमिकों और किसानों में भी असंतोष की भावनाएं काफी बढ़ गई थी।

4) भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि के नेतृत्व में जिस क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया गया था, उसके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था।

⇒ इन्हीं परिस्थितियों में नेहरू रिपोर्ट के डोमीनियन स्टेटस की मांग पर जब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।

⇒ सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' के माध्यम से एक लेख प्रस्तुत कर सरकार के समक्ष एक 11 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, किंतु वायसराय इरविन ने इसपर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की।

⇒ इसके बाद गांधी जी ने फरवरी 1930 में इस बात की घोषणा की कि दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा और इसके लिए पहले दांडी मार्च चलाया जाएगा।

⇒ दांडी मार्च को प्रारम्भ करने के पूर्व गांधी जी ने एक बार फिर से 2 मार्च 1930 को अपने एक अंग्रेज क्वेकर मित्र रेजिनाल्ड रेनाल्ड के

माध्यम से सरकार के साथ समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वायसराय इरविन ने इस बार भी कोई ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी ने कहा था – "मैंने घुटने टेककर रोटी मांगी, परंतु पत्थर मिला, अब यह दांडी मार्च प्रारंभ होता है।"

दांडी मार्च –

1. ⇒ गांधीजी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए 78 सहयोगियों के साथ नौसारी जिले में स्थित दांडी तक एक मार्च प्रारम्भ किया, जिसे 'दांडी मार्च' कहकर पुकारा गया।

6 अप्रैल 1930

⇒ उसमें सर्वाधिक 31 लोग गुजरात से और इसके बाद 13 लोग महाराष्ट्र से आने थे। उ० प्र० से 8 लोग आने थे।

⇒ नैनीताल से महावीर और सिंधु क्षेत्र से आनंद हिंगोरानी ने भाग लिया था।

⇒ इस मार्च में दो मुसलमान और एक ईसाई भी शामिल थे। इसमें महिलाओं एवं बच्चों का कोई नाम नहीं था।

द्वितीय सत्याग्रही

⇒ सत्याग्रहियों की सूची में एक नाम अब्बास तैय्यब जी का था, जिन्हें गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में दांडी मार्च का नेतृत्व करना था।

अब्बास तैयबजी

⇒ गांधी जी ने उस प्रतिज्ञा का मसौदा स्वयं बनाया, जो सत्याग्रह में भाग लेने वाले हर स्वयंसेवक को लेनी थी।

⇒ इस मार्च की तुलना सुभाषचंद्र बोस ने 'मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के पेरिस मार्च' से की है।

⇒ जवाहरलाल नेहरू ने कहा – "आज यह तीर्थयात्री अपनी दीर्घयात्रा के लिए निकल पड़ा है।"

⇒ साबरमती आश्रम से दांडी तक की दूरी 385 किमी० या 241 मील थी।

⇒ यह पूर्णरूपेण एक पैदल मार्च होनी थी।

⇒ इस मार्च को प्रारंभ किए जाने के पूर्व ही सत्याग्रहियों का एक जत्था गांधी के साबरमती आश्रम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में निकल चुका था, जिनका कार्य मार्ग में पड़ने वाले लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करना था। परंतु 7 मार्च 1930 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Digvijay Sir GS

१२मार्च = ६अप्रैल
२४days.

नमक कानून भंजक
= सरोजनी नायडू

⇒ इधर गांधी जी अपना मार्च जारी रखे हुये थे। गांधी जी रास्ते में विभिन्न स्थानों में आयोजित प्रार्थना सभाओं में गीता, कुरान और बाईबिल में से पाठ करते। गांधी जी एक ईश्वर में विश्वास करते थे, लोग चाहे उसे जो भी नाम दें।

⇒ वे भीड़ से अपने एक प्रिय भजन 'रघुपति राघव राजा राम' गाने को कहते। यह एक प्रसिद्ध रामधुन है, जिसके शब्द लक्ष्मणाचार्य के रामायणम् से लिए गए हैं। द्वारा रचित 'श्री नमः रामायणम' से लिये गये हैं।

⇒ इस गीत का धुन प्रसिद्ध संगीतज्ञ संत विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने तैयार किया था। उल्लेखनीय है कि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे' था जिसकी रचना प्रसिद्ध गुजराती वैष्णव संत नरसी मेहता ने किया था।

⇒ 24 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। इसी दिन अमेरिका को भेजे गए एक संदेश में गांधी जी ने लिखा – हमें विश्व की सहानुभूति चाहिए। हमारी लड़ाई शक्ति के विरूद्ध न्याय की लड़ाई है।

⇒ 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकालीन प्रार्थना के पश्चात् समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा।

⇒ सरोजनी नायडू ने कहा – "हे नमक कानून भंजक! तुम्हें मेरा सलाम"। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया।

⇒ इस आंदोलन के दौरान उन क्षेत्रों में जहां समुद्री इलाके नहीं थे, वहां किसी और तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया, यथा- बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरूद्ध, कर्नाटक और मध्य प्रांत में 'वन-टैक्स' के विरूद्ध और उ० प्र० में 'कर न दो और लगान न दो' का आंदोलन चलाया गया।

⇒ तमिलनाडु में सी॰ राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजावुर के समुद्र तट पर त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक की यात्रा आयोजित की।

⇒ मालाबार में एक नायर कांग्रेसी नेता केलप्पन ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया।

⇒ उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया गया। कटक, बालासोर एवं पुरी उड़ीसा में आंदोलन के केन्द्र थे।

Divijay Sir GS

⇒ छतरपुर (बुंदेलखण्ड) मे कुख्यात डाकू मंगल सिंह ने करों की नाअदायगी का एक सशक्त आंदोलन चलाया। उनका यह मानना था कि मालगुजारी में कमी की जानी चाहिए।

⇒ इलाहाबाद जिले में अभियान की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने संभाली।

⇒ 9 अप्रैल को शहर में उन्होंनें गैरकानूनी ढंग से बनाए नमक के पैकेट बेचे और दूसरे दिन वे और उनकी पत्नी एक विराट जुलूस बनाकर एक विशेष तरह की मिट्‌टी से नमक इकट्‌ठा करने गए।

⇒ 14 अप्रैल को जवाहरलाल छिवकी में गिरफ्तार कर लिए गए; जो कि इलाहाबाद से कुछ मील की दूरी पर स्थित था।

⇒ उन पर नैनी जेल में मुकदमा चलाया गया और नमक बनाने में मदद देने के आरोप में छह महीने की सादा कारावास की सजा दी गई।

⇒ आंध्रप्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से सैनिक शिविरों की तर्ज पर 'शिवरम' स्थापित किए गए थे।

⇒ इस आंदोलन के दौरान बच्चों की 'वानर सेना' और लड़कियों की 'मांजेरी सेना' का गठन किया गया।

⇒ ग्रामीण जनों तक राष्ट्रीय संदेश को पंहुचाने के लिए जादुई लालटेन का प्रयोग इसी आंदोलन के दौरान किया गया।

⇒ इस दौरान प्रभात फेरियां भी निकाली गई, जिसमें आंदोलनकारी गली-गली गुजरते हुए राष्ट्रगान गाते थे।

⇒ नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के धरासना में हुई। 5 मई को गांधी जी गिरफ्तार कर यरवदा जेल ले जाए गए। उन पर न तो कोई आरोप लगाया गया और न ही कोई मुकदमा चलाया गया।

⇒ उनकी गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैय्यब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।

⇒ इसके बाद आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सरोजनी नायडू के कंधों पर आ गई।

⇒ 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब (जो द॰ अफ्रीका में गांधी जी के वृद्ध सहयोगी थे), गांधी जी के दूसरे पुत्र मणिलाल तथा गांधी जी के सचिव प्यारेलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ महाराष्ट्र के धरासना नामक कारखाने पर धावा बोल दिया।

⇒ यूनाइटेड प्रेस के 'न्यू फ्रीमैन' नामक समाचार पत्र के अमेरिकी संवाददाता पत्रकार वेब मिलर उस समय वहीं पर मौजूद था। इन आंदोलनकारियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बेइंतहा जुल्म का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है।

लाल कुर्ती आंदोलन -

⇒ भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खां ने इसी समय लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था।
⇒ उन्होंने 1929 में 'खुदाई खिदमतगार' नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसका तात्पर्य होता है - ईश्वर का सेवक।
⇒ उन्होंने अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा पश्तो में एक समाचार-पत्र 'पख्तून' का प्रकाशन किया, जिसे कि बाद में बंद कर दिया गया।
⇒ बाद में इसका अन्य नाम 'दस रोजा' से इसका पुनर्प्रकाशन प्रारंभ किया गया।
⇒ उन्हें 'सीमांत गांधी' या 'फ्रंटियर गांधी', बादशाह खां, शेर-ए-अफगान आदि कहकर पुकारा गया।
⇒ यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी की सरकारी आदेश के बावजूद 18वीं चंद्रसिंह गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों ने लाल कुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया।
⇒ इस आंदोलन के समय ही उत्तरी-पश्चिमी प्रांत के कबीलाइयों ने गांधी जी को 'मलंग बाबा' कहा था।

जियालरंग आंदोलन -

⇒ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र यथा -मणिपुर और नागालैण्ड में भी इस आंदोलन का प्रभाव देखा गया।
⇒ यहां पर यदुनांग के नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दे दी।
⇒ तब उनकी बहन रानी गिडालू या गौडिनल्यू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। रानी गिडालू को 'भारत का जॉन ऑफ आर्क' कहा गया। उन्हें 'नागालैण्ड की रानी लक्ष्मीबाई' कहकर भी पुकारा जाता है।
⇒ उन्हें भी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर आजीवन उम्र कैद की सजा दे दी। भारत की आजादी के बाद ही उन्हें जेल से मुक्त किया जा सका

⇒ जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 'रानी' की उपाधि प्रदान करते हुए कहा था कि "एक दिन ऐसा आएगा, जबकि पूरा देश उन्हें ससम्मान याद कर सकेगा।"

आंदोलन की विशेषताएं -

⇒ जहां 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान गांधीजी ने प्रारंभ में सहयोग के वैधानिक कार्यक्रमों पर बल दिया, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रारंभ से ही असहयोग के अवैधानिक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, जैसे - कर न दो, लगान न दो का आंदोलन।

⇒ उन क्षेत्रों में जहां समुद्रतटीय इलाका नहीं था, वहां पर वन कानून, चौकीदारी टैक्स का उल्लंघन किया और कर न दो लगान न दो आंदोलन चलाया गया।

⇒ इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन की तुलना में शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन कम प्राप्त हुआ।

⇒ असहयोग की तुलना में इस आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी कम रही। इसका अपवाद खान अब्दुल गफ्फार खां का लाल कुर्ती आंदोलन था।

⇒ सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक अभूतपूर्व विलक्षणता इसमें औरतों की व्यापक भागीदारी थी। नेहरू परिवार की महिलाओं में कमला, कृष्णा और यहां तक कि इंदिरा गांधी ने पुरुष वस्त्र धारण किए और स्वयं को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया।

⇒ इस आंदोलन के दौरान आंदोलन के ऐसे तरीकों का भी प्रयोग किया गया, जो कि पूर्ववर्ती और परवर्ती किसी भी आंदोलन में देखने को नहीं मिला, जैसे - जादुई लालटेन का प्रयोग, मांजेरी व वानर सेना का गठन, प्रभात फेरियां निकाला जाना इत्यादि।

Dhananjay Sir GS

Thank you

स्वराजवादी दल

⇒ असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात किस तरह के कार्य किये जाएं कि भारत में राष्ट्रीयता की भावनाएं बनी रहे, इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई।

① परिवर्तनकामी
a) चितरंजन दास
b) मोतीलाल नेहरू
c) विट्ठलभाई पटेल
d) हकीम अजमल खां

② परिवर्तनविरोधी
a) चक्रवर्ती राज गोपालाचारी
b) डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद
c) वल्लभभाई पटेल
d) हसन इमाम

⇒ परिवर्तनकामियों का यह मानना था कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत नवम्बर 1923 में होने वाले दूसरे चुनाव में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए इसलिए असहयोग आंदोलन के निर्धारित चुनाव के बहिष्कार के कार्यक्रम में परिवर्तन लाया जाना चाहिए।

⇒ परिवर्तनविरोधियों का यह कहना था कि चुनाव के बहिष्कार के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो और राष्ट्रीयता की भावनाओं को बनाए रखने के लिए गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया जाए।

⇒ दोनों का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीयता की भावनाओं को बनाए रखना था, किंतु इसके लिए अपनाए जाने वाले साधन को लेकर भिन्नता थी।

⇒ दिसम्बर 1922 में गया में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष चितरंजन दास ने चुनाव से सम्बंधित एक प्रस्ताव रखा। (कांग्रेस का दूसरा विभाजन - गया अधिवेशन)

⇒ 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर चितरंजन दास का चुनाव हुआ था, परंतु उस समय उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी।

⇒ 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्ष एक बार फिर से सी॰आर॰ दास को बनाया गया।

⇒ इस अधिवेशन में उनके द्वारा रखे गए चुनाव में भागीदारी से संबंधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।

Digvijay Sir GS

⇒ चितरंजन दास ने तब अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को एक 'अखिल भारतीय कांग्रेस – खिलाफत स्वराज्य पार्टी' का गठन किया, जिसे संक्षेप में 'स्वराज्य दल' कहकर पुकारा गया।

अध्यक्ष – चितरंजन दास
सचिव – मोतीलाल नेहरू
→ वी॰एन॰ समसले
→ विट्ठलभाई पटेल
→ चौधरी खलीकुज्जमा

उद्देश्य – असहयोग आंदोलन से जनता में उत्पन्न उत्साह को बनाए रखना तथा सरकार का प्रत्येक संभव तरीके से विरोध करना। इस दल के नेताओं का विचार था कि इससे सरकार के विरुद्ध आरंभ किया गया जनांदोलन शिथिल नहीं होगा और वे जनहित में सरकार को कानून पारित कराने के लिए बाध्य कर सकेंगे।

⇒ सितम्बर 1923 में दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में सम्पन्न कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराजवादियों को चुनाव में भागीदारी का अधिकार प्रदान कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी ओर से कोई भी जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया।

⇒ इन स्वराजवादियों से यह उम्मीद की गई कि वे भी रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में पूरी तल्लीनता से काम करेंगे।

⇒ इसी विशेष अधिवेशन की ही अध्यक्षता कर मौलाना अबुल कलाम आजाद आज तक के इतिहास में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने।

⇒ इस विशेष अधिवेशन में लिए गए निर्णय पर, दिसम्बर 1923 के काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन ने अपनी पक्की मुहर लगा दी। इस की अध्यक्षता मौलाना मुहम्मद अली ने किया था।

स्वराज्यवादी एवं चुनाव –

⇒ 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कुल तीन चुनाव हुए थे।
① नवम्बर 1920
② नवम्बर 1923
③ नवम्बर 1926

- असहयोग कार्यक्रम में शामिल चुनाव के बहिष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस ने नवम्बर 1920 के चुनाव में शामिल होने से इंकार कर दिया। सभी कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव का बहिष्कार किया था।
- इस चुनाव में उदारवादियों के 'नेशनल लिबरल फेडरेशन' तथा अन्य लोगों ने भाग लिया।
- 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात् नवम्बर 1923 के चुनाव में कांग्रेस ने तो नहीं; परंतु उसके एक घटक दल 'स्वराज्य पार्टी' ने भाग लेने की घोषणा की।
- नवम्बर 1923 के चुनाव में स्वराजवादियों ने काफी महत्वपूर्ण जीत हासिल की।
- केन्द्रीय विधानसभा के 105 सदस्यों में से 42 सदस्य स्वराजवादियों के निर्वाचित हुए। इस प्रकार केन्द्र में उनकी जीत रही।
- प्रांतीय विधान सभाओं में मध्य प्रांत में उनकी विजय सर्वाधिक थी, जहां कुल 54 स्थानों में 40 स्थान पर विजयी रह कर स्पष्ट बहुमत हासिल की।
- बंबई के कुल 86 स्थानों में 32 पद, बंगाल के कुल 111 स्थानों में 36 पद, संयुक्त प्रांत के कुल 101 स्थानों में 31 पद स्वराजवादी विजयी रहे, अर्थात इन स्थानों में यद्यपि वे बहुमत हासिल नहीं कर सके, तथापि चुनाव की तैयारी के कम समय को देखते हुए उनका यह शानदार प्रदर्शन था। अन्य प्रांतों में इनकी सफलता कम रही।
- उनके इस विशिष्ट उपलब्धि को देखते हुए उन्हें 'कांग्रेस का संसदीय दल' कहकर पुकारा जाने लगा। नवम्बर 1926 के चुनाव में इनका प्रदर्शन खराब रहा, जिसके कारण निम्नलिखित थे।

1) 1925 के चुनाव मे चितरंजन दास की मृत्यु हो गई, जिससे संगठन के नेतृत्व पर बुरा प्रभाव पड़ा।

2) 1923 के चुनाव में जिन्हें टिकट मिला था, 1926 के चुनाव में जब उन्हें फिर से नहीं दिया गया, तो उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भागीदारी की। जनता में तब उनके सत्तालोलुप होने का संदेश गया।

3) पार्टी के भीतर सांप्रदायिक ताकतों का मजबूत होना।

Digvijay Sir GS

④ स्वराज्य पार्टी के सदस्यों के द्वारा विभिन्न राजकीय पदों को स्वीकार कर लेना, जैसे - 1925 में विट्ठलभाई पटेल के द्वारा केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्षपद को स्वीकार कर लिया जाना।

⑤ कुछ प्रमुख स्वराजवादियों को 'इस्पात सुरक्षा समिति' की, तो मोतीलाल नेहरू को 1925 में भारतीय सेना के भारतीयकरण हेतु गठित 'इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी' या 'स्कीन समिति' की सदस्यता दे दी।

Digvijay Sir GS

गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट एवं मैकडोनाल्ड पंचाट

गोलमेज सम्मेलन, कॅम्यूनल अवार्ड एवं पुणा एक्ट -

⇒ 27 मई 1930 को साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन को हटा कर वहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी। परंतु गवर्नरों के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां बनाए रखी गई थी। केन्द्र में किसी प्रकार के परिवर्तन की बात नहीं की गई थी, इसलिए इसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया।

⇒ साइमन आयोग की इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया।

आयोजन स्थल - सेंट जैम्स पैलेस, लंदन

आयोजन का उद्देश्य - साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना

उद्घाटनकर्ता - ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम

अध्यक्षता - ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड

गोलमेज सम्मेलनों की संख्या - 3

प्रथम गोलमेज सम्मेलन -

आयोजन काल - 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक।

⇒ भारत के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये बंबई के बेलार्ड पियरे बंदरगाह से 'वायसराय ऑफ इंडिया' नामक जहाज से रवाना हुए।

⇒ प्रतिनिधियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण थे।

1. ब्रिटेन के कंजर्वेटिव दल - लार्ड पील
2. भारत के उदारवादी दल - तेज बहादुर सप्रू, चमनलाल सीतलवाड़, श्री निवास शास्त्री, सी. वाई चिंतामणि।
3. हिन्दू महासभा - बी. एस. मुंजे व एम. आर. जयकर
4. सिक्ख - सरदार उज्जवल सिंह
5. क्रिश्चियन समुदाय - सर के. टी. पाल
6. दलित वर्ग - बी. आर. अम्बेडकर तथा राव बहादुर श्री निवास।
7. भारतीय व्यापारी - होमी मोदी
8. मुस्लिम - मु. अली, मु. शफी आगा खाँ, फज्लुल हक, मु. अली जिन्ना आदि

⇒ इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि इस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस की भागीदारी के बिना किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता था, इसलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भागीदार बनाए जाने का प्रयास प्रारंभ हो गया।

⇒ तेज बहादुर सप्रू, एम• आर• जयकर तथा श्री निवास शास्त्री के प्रयासों से अंत में 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 'गांधी-इरविन समझौता' या 'दिल्ली समझौता' कहकर पुकारा गया।

⇒ 17 फरवरी 1931 की सुबह नई दिल्ली स्थित वायसराय भवन में इरविन से बातचीत करने हेतु गांधी जी को जाते हुए विंस्टन चर्चिल ने देखा और कटु आलोचना करते हुए गांधी को कहा - "यह आदमी जो किसी जमाने में विलायत से बैरिस्टरी पास करके आया था और अब राजद्रोही फकीर बन गया था, वायसराय के महल की सीढ़ियों पर अर्द्धनंगा दनदनाता हुआ चला जा रहा है, और वहां जाकर सम्राट के प्रतिनिधि के साथ बराबरी से बैठकर समझौते की बातचीत करेगा।"

⇒ चर्चिल ने ही इस दौरान गांधी को 'भारत का अर्द्धनंगा फकीर' कहा।

गांधी-इरविन पैक्ट के प्रावधान -

1. हिंसा में लिप्त क्रांतिकारियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जायेगा।
2. सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जायेगा।
3. कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी भागीदारी की स्वीकृति प्रदान कर दी।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन -

⇒ दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर से 1 दिसम्बर 1931 तक किया गया।

⇒ अंग्रेजी सरकार ने इसमें शामिल होने वाले नामों की घोषणा कर दी थी। ये नाम थे - डॉ• बी•आर• अम्बेडकर, सर एम• आर• जयकर, श्री चमनलाल सीतलवाड़, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती सरोजनी नायडू, सर तेजबहादुर सप्रू, सर मिर्जा इस्माइल, मो• अली जिन्ना, सर रामास्वामी मुदलियार आदि।

Digvijay Sir GS

⇒ सरोजनी नायडू को भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल होना था।

⇒ इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बंबई बंदरगाह से एस• एस• राजपुताना नामक जहाज से रवाना हुये।

⇒ वे अपने साथ एक राष्ट्रवादी मुसलमान एम• ए• अंसारी को भी ले जाना चाहते थे, जिसकी अनुमति नए वायसराय विलिंग्डन ने नहीं दी थी।

⇒ गांधी के पहले ही भारतीय प्रतिनिधियों का एक दल एस• एस• मुल्तान नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हो चुके थे।

⇒ गांधी के साथ मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, उनका सबसे छोटा बेटा देवदास, उनकी अंग्रेज शिष्या मेडलिन स्लेड जिन्होंने साबरमती आश्रम में रहने के पश्चात अपना नाम 'मीरा बेन' रख लिया एवं उनके सेक्रेटरी भी गए थे।

⇒ वहां पर गांधी ने डोरिस लिस्टेयर और म्यूरिल लिस्टेयर के घर किंग्सले हॉल (ईस्ट इंडिया, लंदन) में मेहमान के रूप में ठहरे।

⇒ ब्रिटिश सरकार के कुटिल चाल के कारण गांधी जी को वहां पर अल्प-संख्यक मुद्दे पर किसी के साथ समझौता नहीं हो सका, जिसके कारण उन्हें खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा।

⇒ बंबई बंदरगाह पर वापस उतरने के बाद गांधी ने कहा था कि "मैं खाली हाथ वापस जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया।

⇒ यहां पर आने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारम्भ किया।

⇒ गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया।

मैकडोनाल्ड आवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट (16 अगस्त 1932) -

⇒ दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अपने तरफ से एक अवार्ड की घोषणा की, जिसे 'कम्यूनल अवार्ड' या 'मैकडोनाल्ड अवार्ड' या सांप्रदायिक पंचाट कहकर पुकारा गया।

⇒ इस घोषणा के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने दलित जातियों को भी एक पृथक समुदाय मानकर उसके लिए एक 'पृथक निर्वाचक मंडल' की

⇒ ब्रिटिश सरकार के द्वारा बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत चली गयी यह एक और कुटिल चाल थी और गांधी को भी इस चाल की समझ थी।

⇒ इसीलिये पुणे के यरवदा जेल में उन्होंने इस अवार्ड के विरुद्ध 20 सितम्बर 1932 को आमरण अनशन प्रारम्भ किया, जो कि किसी मुद्दे पर भारत में किया जाने वाला उनका यह पहला आमरण अनशन था।

⇒ अंततः 24 सितम्बर 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 'पूणा पैक्ट' के नाम से जाना गया। समझौते का अंतिम मसौदा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तैयार किया।

⇒ इस समझौते पर गांधी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किये थे। हस्ताक्षर करने वालों के नाम थे - डॉ॰ अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, एम॰ आर॰ जयकर, सर तेजबहादुर सप्रू, श्री जी॰ बी॰ बिड़ला, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवास, श्री एम॰ सी राजा, श्री देवदास गांधी। कुछ स्त्रोतो के अनुसार गांधी जी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे।

⇒ दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर अंबेडकर ने, जबकि हिंदुओं के प्रतिनिधि के तौर पर मदनमोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।

⇒ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस समझौते से इतने खुश थे कि उन्होंने भावावेग में अपनी कलम डॉ॰ अंबेडकर के कलम से बदल लिया।

⇒ इसमें बी॰ आर॰ अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और बदले में स्थानों के आरक्षण की बात को स्वीकार कर ली।

⇒ प्रांतीय विधान सभाओं में उसके आरक्षित स्थान 71 से बढ़कर 148 कर दी गयी, जबकि केन्द्रीय विधानसभा में कुल का 18% स्थान दिया।

⇒ 26 सितम्बर 1932 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि पुणा समझौते को ब्रिटिश संसद के समक्ष मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

Digvijay Sir GS

⇒ इसे सुनने के बाद गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया।

⇒ 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से समझौते के दौरान अंबेडकर ने कहा था – "इतिहास बतलाता है, कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन स्तर नहीं।"

⇒ इस समझौते के बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बजाय हरिजनोत्थान आंदोलन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया। इसी कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन इस चरण में प्रभावशाली नहीं रहा।

⇒ गांधी ने 30 सितंबर 1932 को अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नए नाम से पुकारा जाने लगा।

⇒ संघ का मूल संविधान गांधी ने स्वयं तैयार किया था। प्रसिद्ध उद्योग पति घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि अमृतलाल ठक्कर, जो 'ठक्कर बापा' के नाम से जाने जाते थे, इसके संस्थापक सचिव थे।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन –

आयोजन काल – 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर 1932 तक।

⇒ इस सम्मेलन में एक बार फिर कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। मोहम्मद अली जिन्ना को इस सम्मेलन में बुलाया ही नहीं गया।

⇒ बी. आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

⇒ इस सम्मेलन में संघीय सरकार पर हुए विचार विमर्श पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया जो अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 का मूलाधार बना।

Digvijay Sir GS